



सहकारी संघवाद: मथिक या वास्तवकिता

Federalism is an Intrinsic Part of Our Constitutional Set-up.

अर्थात् संघवाद हमारे संवैधानिक ढाँचे का एक आंतरिक हिस्सा है।

— नवीन पटनायक

भारत का संघीय संरचना, जैसा कि संविधान में नहिा है, **केंद्रीकरण और वकेंद्रीकरण** का एक **अनूठा मशिरण** दर्शाता है। सहकारी संघवाद की अवधारणा इस संरचना का अभिन्न अंग है, जो प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाओं की डलीवरी सुनिश्चित करने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग का समर्थन करती है।

भारत में संघवाद की जड़ें औपनिवेशिक युग में देखी जा सकती हैं, जब **भारत सरकार अधिनियम, 1935** ने **प्रांतीय स्वायत्तता** की शुरुआत करके **संघीय व्यवस्था की नींव** रखी थी। हालाँकि, केंद्र सरकार ने महत्त्वपूर्ण शक्तियों को बरकरार रखा, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच भविष्य के संबंधों की दिशा तय हुई।

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान-निर्माताओं ने एक **अर्द्ध-संघीय संरचना** को अपनाया, जहाँ शक्त का संतुलन केंद्र सरकार के पक्ष में था। यह निर्णय एक विधि और नए स्वतंत्र राष्ट्र में **राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता** को बनाए रखने की आवश्यकता से प्रभावित था। हालाँकि, सहकारी संघवाद का सिद्धांत संविधान में अंतर्नहिा था, जिसमें शासन के लिये एक सहयोगी दृष्टिकोण की कल्पना की गई थी।

भारतीय संविधान विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सहकारी संघवाद के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। **सातवीं अनुसूची** केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित करती है: **संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची**। जबकि संघ सूची केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान करती है, राज्य सूची राज्य सरकारों के लिये आरक्षित है। समवर्ती सूची दोनों सरकारों को कानून बनाने की अनुमति देती है, जिसमें द्वंद्व की स्थिति में केंद्रीय कानून लागू होता है।

संविधान के अनुच्छेद 263 में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने के लिये एक **अंतर-राज्य परिषद** की स्थापना का प्रावधान है। यह परिषद विवादों को सुलझाने और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों पर संवाद को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है।

इसके अतिरिक्त, **नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI आयोग)** और **वित्त आयोग** संस्थागत व्यवस्थाएँ हैं जिनका गठन केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का संतुलित वितरण सुनिश्चित करने के लिये किया गया है। ये निकाय आर्थिक और विकासात्मक मुद्दों पर संवाद एवं सहयोग को सुविधाजनक बनाकर **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संवैधानिक ढाँचे के बावजूद, भारत में **सहकारी संघवाद** के अभ्यास को पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है सत्ता का केंद्रीकरण। केंद्र सरकार ने प्रायः राज्यों की शक्तियों का अतिक्रमण किया है, विशेषकर **अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग** के माध्यम से, जो राज्यों में **राष्ट्रपति शासन** की अनुमति देता है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ है, जिससे **सहकारी संघवाद की भावना** कमजोर हुई है।

एक और चुनौती केंद्र व राज्यों के बीच **संसाधनों एवं राजस्व का असमान वितरण** है। केंद्र सरकार राजस्व स्रोतों के एक बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है, जिससे राजकोषीय असंतुलन होता है। राज्य प्रायः वित्तीय सहायता के लिये केंद्र पर निर्भर होते हैं, जिसका उपयोग राज्य सरकारों पर नियंत्रण करने के लिये एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत एक ऐतिहासिक सुधार है जिसका उद्देश्य एक **एकीकृत कर प्रणाली** बनाना है। इसने राज्यों के बीच उनकी राजकोषीय स्वायत्तता के कषरण के बारे में चिंता भी उत्पन्न की है। यद्यपि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त शक्ति है और **GST परिषद**, जो GST के लिये **नीति और दरें** निर्धारित करती है, को **सहकारी संघवाद** को लागू करने का काम सौंपा गया है, फरि भी सहयोग के वास्तविक दायरे को लेकर चिंताएँ हैं।

हाल के वर्षों में, भारत में सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने के प्रयास हुए हैं। NITI आयोग, जिसने योजना आयोग की जगह ली, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। योजना आयोग जिसकी प्रायः **अधोगामी और केंद्रीकृत** होने के लिये आलोचना की जाती थी, के विपरीत NITI आयोग **उर्ध्वगामी उपागम** पर जोर देता है, राज्यों को अपने विकास एजेंडे का स्वामित्व लेने के लिये प्रोत्साहित करता है।

NITI आयोग द्वारा परकिलपति 'टीम इंडिया' की अवधारणा का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और **साझेदारी की भावना को बढ़ावा** देना है। **गवर्नगि काउंसिलि** जैसे तंत्रों के माध्यम से, जसिमें **सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं**, **NITI** आयोग प्रमुख नीतगित मुद्दों पर चर्चा की सुवधि प्रदान करता है, यह सुनशिचति करता है कनिर्णय लेने की प्रकरया में राज्यों की भी भागीदारी हो।

इसके अतरिकित, **15वें वतित आयोग** ने राज्यों के लयि कर राजस्व के बड़े हसिसे की सफिरशि करके कुछ **राजकोषीय असंतुलन** को दूर करने का प्रयास कया है। यह राज्यों को वतित्तीय रूप से सशक्त बनाकर और केंद्र पर उनकी नरिभरता को कम करके सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने की दशिा में एक सकारात्मक कदम है।

कोवडि-19 महामारी ने भी सहकारी संघवाद के महत्त्व को उजागर कया है। महामारी के प्रबंधन के लयि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनषिट समनवय की आवश्यकता थी। यदयपि, वशिषकर **वैक्सीन वतितरण और लॉकडाउन प्रकरयाओं** जैसे मामलों पर कई बार असहमति हुई, संकट ने यह स्पष्ट कर दया कि राष्ट्रीय महत्त्व की समस्याओं के समाधान के लयि एक **सहयोगी दृष्टिकोण** की आवश्यकता है।

भारत में सहकारी संघवाद के अभ्यास को आकार देने में राजनीतिक गतशीलता एक महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाती है। **केंद्र-राज्य संबंधों** की प्रकृतप्रायः केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दलों के राजनीतिक संरेखण पर नरिभर करती है। जब एक ही पार्टी या पार्टियों का गठबंधन केंद्र और राज्यों दोनों पर शासन करता है, तो आमतौर पर अधिक सहयोग होता है। हालाँकि, जब अलग-अलग पार्टियाँ सत्ता में होती हैं, वशिषकर अगर वे वैचारिक प्रतदिवंदवी हों, तो तनाव उत्पन्न हो सकता है, जसिसे संबंध अधिक तनावपूर्ण बन जाते हैं।

उदाहरण के लयि **आपातकाल की अवधि (वर्ष 1975-1977)** के दौरान, कॉंग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर अत्यधिक नयितरण कया, जनिमें से कई को **अनुच्छेद 356** का प्रयोग करके बरखास्त कर दया गया था। इस अवधि को प्रायः सहकारी संघवाद के वधितन के उदाहरण के रूप में उद्धृत कया जाता है।

दूसरी ओर, केंद्र में गठबंधन सरकारों की अवधि के दौरान, जैसे कि **1990 और 2000 के दशक** की शुरुआत में, राज्य सरकारों के साथ परामर्श एवं सहयोग पर अधिक जोर दया गया था। गठबंधन में वभिनिन क्षेत्रीय दलों के हतियों को समायोजित करने की आवश्यकता ने प्रायः संघवाद के प्रतधिक संतुलित दृष्टिकोण को जन्म दया।

वर्तमान राजनीतिक परदृश्य, जसिमें केंद्र में एक पार्टी का प्रभुत्व है और वभिनिन राज्यों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है, सहकारी संघवाद के लयि अपनी चुनौतियों और अवसरों का एक समूह है। जबकि केंद्र सरकार ने **GST और श्रम कानून सुधारों के कार्यान्वयन** जैसे सुधारों के लयि राज्य के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दया है, वही **वपिक्षी शासति राज्यों के साथ तनाव** के उदाहरण भी हैं, वशिषकर **महामारी** तथा **कृषि कानूनों** से नपिटने जैसे मुद्दों पर।

न्यायपालिका ने भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा की वयाख्या और उसे आयाम देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने वभिनिन ऐतहिसिक नरिणयों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच **शक्ति संतुलन** बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दया है।

एस.आर. बोम्मई मामले (वर्ष 1994) में, **सर्वोच्च न्यायालय** ने **अनुच्छेद 356** के तहत राष्ट्रपतिशासन लागू करने के लयि सखत दशिा-नरिदेश नरिधारित कयि जसिसे केंद्र सरकार द्वारा इस परावधान के मनमाने प्रयोग पर अंकुश लगा। इस नरिणय को भारत में संघवाद की सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण क्षण माना जाता है।

इसी प्रकार, **1962** में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों की स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए कहा कि संवधान राज्यों को केवल **प्रशासनिक इकाइयों** के रूप में नहीं बल्कि अपनी शक्तियों और जमिमेदारियों वाली संस्थाओं के रूप में मान्यता देता है। इस नरिणय ने राज्य की स्वायत्तता के महत्त्व को स्वीकार करके **सहकारी संघवाद के वधिार** को सुदृढ़ कया।

न्यायपालिका ने राज्यों व केंद्र के बीच और साथ ही राज्यों के बीच वविादों को सुलझाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाई है। **अंतर-राज्यीय नदी जल वविाद अधकिरण** जैसे तंत्रों की स्थापना संवाद और संघर्षों के समाधान के लयि एक मंच प्रदान करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में न्यायपालिका की भूमिका का एक उदाहरण है।

भारत में सहकारी संघवाद की यात्रा एक गतशील और वकिसशील प्रकरया है, जो ऐतहिसिक संदर्भों, संवैधानिक रूपरेखाओं, राजनीतिक गतशीलता एवं न्यायिक वयाख्याओं द्वारा आकार लेती है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के सार को दर्शाता है, जो भारत के राज्यों की वविधि आकांक्षाओं के साथ राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता को संतुलित करता है। जैसा कि भारत अपने जटलि संघीय ढाँचे को और भी वकिसति कर रहा है, सहकारी संघवाद की सफलता केंद्र और राज्यों दोनों की एक साथ काम करने, सामूहिक भलाई को प्राथमिकता देने तथा राष्ट्र की बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल होने की नरितर प्रतबिद्धता पर नरिभर करेगी। साझेदारी और आपसी सम्मान की इस भावना के माध्यम से ही भारत समावेशी वकिस सुनशिचति कर सकता है तथा केंद्रीय प्राधिकरण एवं राज्य स्वायत्तता के बीच संवदेनशील संतुलन बनाए रख सकता है।

Competitive Cooperative Federalism is the Key to India's Rising Investments.

अर्थात् प्रतसिपर्द्धात्मक सहकारी संघवाद भारत के बढ़ते नविश की कुंजी है।

— नरेंद्र मोदी

